भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 552
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का विस्तार और आधुनिकीकरण

552. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई योजनाओं और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और पर्यटकों के आकर्षण वाले अल्पसेवित क्षेत्रों और जिलों में विमान यात्रा को सुलभ बनाने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): हवाईअड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारणों, यातायात की माँग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से परिचालन करने की इच्छा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या अन्य हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा किया जाता है।

(ख): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन वैध बोली के माध्यम से उनकी पहचान करने और एसएओ (चयनित एयरलाइन प्रचालक) को अवॉर्ड करने पर किया जाता है। योजना के तहत बोली प्रक्रिया के पाँच दौर के समापन पर, 13 हेलीपोर्टों और 02 वाटर एयरोड्रोमों सहित 85 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 579 मार्गों को चालू किया गया है।

*****